Helpline **1064** **94135-02834**

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जोधपुर में रेल्वे का वर्क अकाउंटेंट 4 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *14 अक्टूबर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की जोधपुर एस.यू. इकाई द्वारा आज गुरूवार कार्यवाही करते हुये विजय कुमार गुप्ता वर्क अकाउंटेंट, सिग्नल एण्ड टेलिकॉम विभाग, रेल्वे डीआरएम कार्यालय, जोधपुर को परिवादी से 4 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जोधपुर एस.यू. इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म का जारी बल्क एस.एम.एस. के टेण्डर में वर्क ऑर्डर जारी करने की एवज में विजय कुमार गुप्ता वर्क अकाउंटेंट, सिग्नल एण्ड टेलिकॉम विभाग, रेल्वे डीआरएम कार्यालय, जोधपुर द्वारा 4 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जोधपुर एस.यू. के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दुर्गसिंह राजपुरोहित** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये विजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री शिवचरण गुप्ता निवासी ग्राम कोटामामचारी, तहसील करौली हाल वर्क अकाउंटेंट, सिग्नल एण्ड टेलिकॉम विभाग, रेल्वे डीआरएम कार्यालय, जोधपुर वर्क अकाउंटेंट, सिग्लन एण्ड टेलिकॉम विभाग, रेल्वे डीआरएम कार्यालय, जोधपुर को परिवादी से 4 **हजार रूपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।